झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

सं०सं०–8 / ज०सं०(नि०) विविध–09 / 2013 (पार्ट) .... / राँची, दिनांक................

संकल्प

श्री ललन प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, (यांत्रिक) प्रमण्डल, मण्डल शिविर मेदिनीनगर के विरूद्ध विनिर्दिष्ट आरोपों के लिए विभागीय संकल्प –1055 दिनांक– 23.02.2017 द्वारा झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम–43बी० अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गई। उक्त विभागीय कार्यवाही में श्री शुभेन्द्र झा, विभागीय जाँच पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया था किन्तु दिनांक– 28.02.2017 को इनका कार्यकाल समाप्त हो जाने के कारण जाँच कार्य पूर्ण नहीं हो सका एवं अभिलेख वापस कर दिया गया।

2. तत्पश्चात् कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, राँची के आदेश संख्या–11393 दिनांक– 14.11.2017 द्वारा जल संसाधन विभाग, राँची के लिए श्री ददन चौबे (सेवानिवृत झा०प्र०से०) को विभागीय जाँच पदाधिकारी नियुक्त किया गया है।

3. अतएव विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री शुभेन्द्र झा के स्थान पर श्री ददन चौबे को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. संदर्भित पूर्व से निर्गत संकल्प सं०–1055 दिनांक– 23.02.2017 की शेष कंडिकाएँ यथावत् रहेंगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह0 / –

सरकार के संयुक्त सचिव
जल संसाधन विभाग।

ज्ञापांक –.. / राँची, दिनांक– ....

प्रतिलिपि : श्री ददन चौबे (से०नि० झा०प्र०से०), विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, टाऊन एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग, एच०ई०सी०, गोलचक्कर, धुर्वा, राँची–834004 को संबंधित अभिलेख मूल फोल्डर के साथ / कार्यपालक अभियंता–सह–प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी (यॉंत्रिक) यॉंत्रिक शिविर प्रमण्डल, मण्डल शिविर मेदिनीनगर / श्री ललन प्रसाद, सेवानिवृत, कार्यपालक अभियंता, B / 201, मंगलम बिहार एपार्टमेंट आरा गार्डेन जगदेवपथ, पटना–800014 को सूचनार्थ एवं ससमय आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2– संचालन पदाधिकारी से अनुरोध है कि निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत जाँच प्रतिवेदन तीन प्रतियों में विभाग को समर्पित करने की कृपा करें।

ह0 / –

सरकार के संयुक्त सचिव
जल संसाधन विभाग।

ज्ञापांक –......5283...... / राँची, दिनांक– ....12-12-17....

प्रतिलिपि : उप सचिव, (प्रबंधन), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची / वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11.12.17

सरकार के संयुक्त सचिव
जल संसाधन विभाग।

D:\MINZ\Letter\Sankalp\08_JS_(N) v_09_2013_(Part) _Lalan Prasad.docx 3